

संख्या 27/15/2010-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्केट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक 23/12/2010

16(I)
आदेश /2010

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रूप से आबन्धित समझा जायेगा।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्धित नहीं समझा जायेगा।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर. एस. दिनांक 11.9.2001 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रूप से आबंटित समझे जायेंगे जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता।

संलग्नक में निर्दिष्ट कार्मिकों का अंतिम आबंटन राज्य परामर्शदात्री समिति की दिनांक 24.05.2010 को हुई 79 वीं बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है।

के. पी. के. नंबीशन
(के. पी. के. नंबीशन)
उप सचिव/उप सचिव
(K. P. K. NAMBISSAN)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Covt. of India

संलग्नक: 1. अनुबंध (1 पृष्ठ में) उत्तराखण्ड राज्य में अन्तिम आबंटन के लिए संलग्नक में निर्दिष्ट कार्मिकों की सूची।
विभाग के 4 कार्मिकों की सूची।

प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ।
4. श्री डी. के. कोटिया, प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग Deptt. of Personnel & Trg. प्राप्ति और निर्गम अनुसूची Receipt & Issued Section
23 DE - 2010
प्राप्ति किया/ISSUED

गृह पुलिस विभाग

क्रम संख्या	नाम सर्वश्री	पदनाम/टी.एफ.ए.एल
1	श्री इन्द्रदेव मिश्रा	आरक्षी/2805
2-	श्री राग आसरे	आरक्षी/1049
3	श्री संजय कुमार	आरक्षी/1167
4	श्री अनिल कुमार	आरक्षी/1348

आरक्षी/2805
23/12/2010

डॉ. (कै.पि.के.) नंबिसान
(P. K. NAMBISSAN)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्यिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India